"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2–22–छत्तीसगढ़ गजट/38 सि.से. भिलाई,दिनांक 30–05–2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012–2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 526]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 नवम्बर 2013—अग्रहायण 1, शक 1935

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 11 -3/2013/मबावि/50 .— राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2000 यथा संशोधित अधिनियम 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए तथा राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा अनुसार चयनित सदस्य/सदस्यों को सम्मिलित करते हुए कॉलम 02 एवं 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :-

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	बिलासपुर	बिलासपुर एवं मुंगेली	कु. चित्ररेखा सोनवानी, चतुर्थ सिविल जज क्लास-2 सह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट , जिला बिलासपुर.
2.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर-चांपा	श्रीमती गंगा पटेल, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चांपा.
3.	जशपुर	जशपुर	श्रीमति शारदा शुक्ला शर्मा, प्रथम श्रेणी सिविल जज सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला जशपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	कोरबा	कोरबा	श्रीमति सरिता दास, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सह न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला कोरबा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 नवम्बर 2013

क्रमांक एफ 11 -3/2013/मबावि/50.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 20 नवम्बर, 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. पिस्दा, सचिव.

Raipur, the 22nd November 2013

NOTIFICATION

No. F 11-3/2013/MBV/50. — In exercise of the powers conferred by the sub-section (1) and (2) of the Section 4 of the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act 2000 as amended 2006, the State Government hereby reconstitutes the Juvenile Justice Boards by notifying Chief Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate and Social worker/workers duly selected by the State level selection committee as members for the area mentioned in the column No. 2-

S. No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Bilaspur	Bilaspur & Mungeli	Ku. Chitrarekha Sonwani, IVth Civil Judge, Class II-cum-Judicial Magistrate First Class-Bilaspur.
2.	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	Smt. Ganga Patel, Judicial Magistrate First Class-Janjgir-Champa.
3.	Jashpur	Jashpur	Smt. Sharda Shukla Sharma, I Civil Judge, I-cum-Chief Judicial Magistrate-Jashpur.

(1)	(2)	(3)	(4)
4.	Korba	Korba	Smt. Sarita Das, Additional Judge to the Court of I Civil Judge Class I-cum-Chief Judicial Magistrate First Class-Korba.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. PISDA, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2013.